

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 70/2024

अनवान :-

1. प्रिंस कुमार पुत्र पूर्णमल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।

-प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :- श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
राजपेरोकार

निर्णय

दिनांक: 28/08/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 39/28 की कुल 12.1280 हैक्ट भूमि में से 4715/84896 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बास नाथेवाला तहसील नोहर के खाता स0 130/115 की कुल 21.524 हैक्ट भूमि में से 11161/301336 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रीस कुमार दर्ज है जो की सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम प्रिंस कुमार पुत्र पुर्णमल है जो की प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड में दर्ज है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का पता गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम प्रीस कुमार के स्थान पर प्रिंस कुमार दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नहीं होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रीस कुमार दर्ज है जो की सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम प्रिंस कुमार पुत्र पुर्णमल है जो की प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड में दर्ज है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का पता

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Rahul

गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम प्रीस कुमार के स्थान पर प्रिंस कुमार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 39/28 की कुल 12.1280 हैक्ट भूमि में से 4715/84896 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बास नाथेवाला तहसील नोहर के खाता स0 130/115 की कुल 21.524 हैक्ट भूमि में से 11161/301336 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थी का नाम प्रीस कुमार दर्ज है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम प्रिंस कुमार है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 39/28 की कुल 12.1280 हैक्ट भूमि में से 4715/84896 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बास नाथेवाला तहसील नोहर के खाता स0 130/115 की कुल 21.5240 हैक्ट भूमि में से 11161/301336 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम प्रीस कुमार के स्थान पर प्रिंस कुमार का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाता है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/08/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हों।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव L.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर